उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-2
संख्या-88/2024/494/41-2-2024-CN-**1744312**
लखनऊ दिनांक 06 मार्च, 2024
संख्या-63/2024/317/002-41-2-2024- CN-**1744312, दिनांक 27.02.2024**

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-9568/6-1-1(189)/2023-24, दिनांक 05 मार्च, 2024 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार जनपद गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में फसाड लाइटिंग, विद्युतीकरण एवं अन्य कार्यो हेतु निर्गत शासनादेश संख्या- 63/2024/317/002-41-2-2024-1744312, दिनांक 27.02.2024 के प्रस्तर-3 एवं 4 में त्रुटिवश अंकित अवशेष धनराशि रू0 98,13,850.00 लाख (रूपये अट्ठानब्बे लाख तेरह हजार आठ सौ पचास मात्र) के स्थान पर अवशेष धनराशि रू0 98,13,850.00 (रूपये अट्ठानब्बे लाख तेरह हजार आठ सौ पचास मात्र) को अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 27.02.2024 को संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- उप निदेशक (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, यूनिट-29, गोरखपुर
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।